संख्या-6/2023/ए-1-96/दस-2023

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः 21 जुलाई, 2023

विषयः पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) योजना के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रस्तावित सुविधा/लाभ इच्छुक पुलिस कर्मियों को प्रदान कराने हेतु उनके वेतनीय खातों को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या- कल्याण -पीएसपी-2022/2023 दिनांक 27.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आप सभी को सम्बोधित एवं गृह विभाग को पृष्ठांकित है, जिसके माध्यम से पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) योजना के अन्तर्गत देय लाभों को इच्छुक कर्मचारियों को प्राप्त कराने हेतु उनके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गये नये सैलेरी एकाउण्ट को कोषागार पोर्टल पर जोड़ने/परिवर्तन हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि पुलिस कर्मियों के व्यापक हित के दृष्टिगत पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा से उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया है।

3- उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-12/ए-1-394-दस-2022 दिनांक 16.12.2022 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप राज्य के विभिन्न जनपदों में पुलिस कर्मियों के बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गये नये सैलेरी एकाउण्ट को कोषागार पोर्टल पर जोड़ने/परिवर्तन किये जाने की अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाय।

भवदीय,
धर्मेन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0, शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
4. पुलिस आयुक्त लखनऊ/गाजियाबाद/वाराणसी/गौतमबुद्ध नगर/प्रयागराज/आगरा/कानपुर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
6- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in